छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 211/2006

श्री संतोष सोनी **अधिवक्ता** **पानी टंकी के समीप, केदारपुर** **अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)**	....	**अपीलार्थी**

विरूद्ध

अपीलीय सूचना अधिकारी **आयुक्त,** **नगरपालिक निगम, अम्बिकापुर,** **सरगुजा (छ.ग.)**	....	**प्रतिअपीलार्थी**
आयुक्त, **नगरपालिक निगम,** **चिरमिरी,** **जिला–कोरिया (छ.ग.)**	....	**प्रतिअपीलार्थी**

:: आदेश ::

(03 अक्टूबर 2006)

यह अपील अपीलार्थी श्री संतोष सोनी निवासी सरगुजा के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी आयुक्त नगर निगम, सरगुजा के आदेश दिनांक 29.04.06 से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) (3) के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने दिनांक 21.12.05 को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा श्री डी.के. शर्मा, सहायक अभियंता की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख एवं उनकी चल–अचल संपत्ति से संबंधित जानकारी सहित सात बिंदुओं पर जानकारी मांगी। सूचना अधिकारी नगरपालिक निगम, अंबिकापुर के द्वारा दिनांक 06.01.06 के द्वारा सूचित किया गया कि श्री शर्मा के सेवा अभिलेख एवं सेवा पुस्तिका नगर निगम में उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी नगरपालिक निगम, चिरमिरी में है अतः वहां से प्राप्त की जा सकती है। सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 07.02.06 एवं दिनांक 27.02.06 को भी अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार सूचित किया गया।

3. अपीलार्थी ने इससे असंतुष्ट होकर प्रथम अपीलीय अधिकारी आयुक्त, नगरनिगम को अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, नगर निगम, अंबिकापुर के द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलार्थी को सूचित किया कि श्री डी.के.शर्मा से संबंधित अभिलेख

नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा सूचना अधिकारी, नगर निगम, चिरमिरी को भी आवेदन दिया गया। नगर निगम चिरमिरी के द्वारा भी अपीलार्थी को जानकारी नही दी गई। आयुक्त, नगर निगम, अंबिकापुर के आदेश से असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

4. आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नगर निगम, अंबिकापुर एवं आयुक्त नगर निगम, चिरमिरी को भी नोटिस जारी किया गया। दिनांक 12.09.06 को चिरमिरी नगर निगम की ओर से श्री एन.एन. उपाध्याय उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं आयुक्त नगरपालिक निगम, अंबिकापुर के द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 21.7.06 का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपने तर्क में बतलाया कि श्री डी.के. शर्मा की नियुक्ति चिरमिरी में हुई है तथा वे वर्तमान में अंबिकापुर में पदस्थ है। अतः अभिलेख अंबिकापुर में ही नियमानुसार होना चाहिए था किन्तु श्री डी.के.शर्मा को बचाने के उद्देश्य से नगरपालिक निगम, अंबिकापुर एवं चिरमिरी के जन सूचना अधिकारी के मिलीभगत से जानकारी नहीं दे रहे हैं अतः इन्हें दंडित किया जावे। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि जन सूचना अधिकारी, अंबिकापुर के द्वारा आयुक्त नगर निगम, चिरमिरी को दिनांक 23.02.06 को श्री डी.के.शर्मा की सेवापुस्तिका मंगाने हेतु पत्र भेजा। आयुक्त नगर निगम, चिरमिरी के द्वारा आयुक्त नगर निगम, अंबिकापुर को सूचित किया गया कि इनकी सेवापुस्तिका स्थापना कक्ष में उपलब्ध नहीं है अतः सेवापुस्तिका भेजा जाना संभव नहीं है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा श्री डी.के. शर्मा को सेवापुस्तिका की जानकारी देने के लिए लिखा गया तब श्री डी.के. शर्मा के द्वारा आयुक्त नगर निगम, अंबिकापुर को पत्र दिनांक 20.7.06 को सूचित किया गया कि उनकी सेवापुस्तिका तथा अन्य दस्तावेज दिनांक 27.08.03 के शासन के पत्र के संबंध में श्री शर्मा स्वयं के द्वारा दिनांक 10.9.03 को संचालक, नगरीय नियोजन को सेवापुस्तिका भेजी गई। श्री डी.के. शर्मा आयुक्त नगर निगम, अंबिकापुर को यह भी सूचित किया गया कि सेवा से संबंधित संधारण करने का दायित्व नगर निगम चिरमिरी की स्थापना शाखा का है जबकि उल्लेखनीय है कि श्री डी.के.शर्मा के द्वारा स्वयं अपनी सेवापुस्तिका बिना आयुक्त नगर निगम, चिरमिरी के आदेश के सीधे संचालक नगरीय नियोजन को भेजी गई। इससे स्पष्ट होता है कि श्री दिनेश शर्मा अवैधानिक रूप से अपनी सेवापुस्तिका अपने पास ही रखे रहे जबकि आयुक्त नगर निगम, जगदलपुर के द्वारा श्री शर्मा के हाथ से ही उनकी सेवापुस्तिका एवं अन्य दस्तावेज आयुक्त चिरमिरी को भेजे गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री शर्मा के द्वारा यह शासकीय पत्र या अभिलेख नगर निगम, चिरमिरी को उपलब्ध नहीं कराये गए। उनका यह कृत्य अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। सचिव, नगरीय प्रशासन, छ.ग. शासन को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस बात की जांच करावें कि अवैधानिक रूप से सेवापुस्तिका एवं अन्य दस्तावेज स्वयं श्री डी.के. शर्मा के पास किस प्रकार रहे और उनके द्वारा बिना आयुक्त नगरनिगम चिरमिरी की जानकारी के सीधे अपनी सेवापुस्तिका संचालक नगरीय प्रशासन एवं नगरीय नियोजन को कैसे भेज दिए। इस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावे।

5. प्रस्तुत प्रकरण से यह स्पष्ट है कि सेवापुस्तिका एवं अन्य अभिलेख नगरीय प्रशासन विभाग सचिवालय के पास संचालक के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं तथा अभी भी वहीं पर है। अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण ही जन सूचना अधिकारी, अंबिकापुर के द्वारा अपीलार्थी को यह सूचित किया गया कि अभिलेख उपलब्ध न होने

से जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। आयुक्त, नगर निगम, चिरमिरी के द्वारा भी नहीं होने की सूचना आयोग को भी दी गई।

6. चूंकि जन सूचना अधिकरी, अंबिकापुर के पास सूचना उपलब्ध नहीं थी अतः सूचना उपलब्ध कराने के लिए वह दोषी नहीं है अतः उनके विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का आधार नहीं है।

7. अतः अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है। सचिव नगरीय प्रशासन को यह निर्देश दिये जाते हें कि वे श्री शर्मा की सेवापुस्तिका एवं अन्य अभिलेख तत्काल आयुक्त नगर निगम, अंबिकापुर को भेजें तथा जन सूचना अधिकारी अंबिकापुर के द्वारा अभिलेख प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर अपीलार्थी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करावें। आयुक्त नगर निगम, चिरमिरी को निर्देश दिए जाते है कि जो भी अभिलेख श्री डी.के. शर्मा से संबंधित उपलब्ध हों वह आयुक्त नगर निगम, अंबिकापुर को प्रेषित की जावें।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त